## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

---

प्रकरण कमांक निगरानी 2018–तीन/99 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–11–1999 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 67/94–95 अपील.

---

1– रोशन पुत्र बंशी

2– ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल

निवासीगण ग्रम कोटरा तहसील जौरा,
जिला मुरैना (म.प्र.) ----- आवेदकगण

विरूद्ध

1– नवलसिंह पुत्र खासाराम,
निवासी ग्राम कोटरा तह. जौरा,
जिला मुरैना

2– दामोदर

3– संतोष पुत्रगण रामजीलाल,
निवासीगण ग्राम कोटरा तह. जौरा,
जिला मुरैना (म.प्र.) ----- अनावेदकगण

---

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी ।
अनावेदक 1– की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा ।

---

:: आदेश ::
( आज दिनांक 15-जून, 2015 को पारित)

---

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 67/94–95/अपील में पारित आदेश दिनांक 25.11.99 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 रोशन द्वारा विचारण न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि पर संहिता की धारा 169, 109 एवं 110 के तहत भूमिस्वामी

बनाए जाने बावत आवेदन पेश किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक सुनवाई तथा साक्ष्य आदि लेकर आदेशदिनांक 26–9–89 द्वारा आवेदक रोशन का आवेदन परिसीमा में न आने के कारण निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध रोशन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 19.3.90 द्वारा स्वीकार की एवं अनावेदकों के बजाय आवेदक रोशन का नाम दर्ज करने के आदेश दिये । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई तथा साक्ष्य का अवसर देकर संहिता की धारा 169, 190 एवं 110 के तहत प्रकरण का निराकरण किया जाये । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि एस.डी.ओ. द्वारा वर्ष 1990 में आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील 1995 में पेश की गई जो अवधि बाह्य थी । अपर आयुक्त ने उसे समयवधि में मानकर तथा एस.डी.ओ. के आदेश को निरसत कर न्यायिक त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश की गई थी इसलिए वह सुनवाई योग्य नहीं दी । एस.डी.ओ. के समक्ष अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध एकतर्फा कार्यवाही सही तरीके से की गई है । इस कार्यवाही के विरूद्ध कोई आवेदन एस.डी.ओ. के समक्ष पेश नहीं किया गया अतः एकतर्फा कार्यवाही को बिना विधिवत जांच के त्रुटिपूर्ण मानना न्यायोचित नहीं है । यदि अपर आयुक्त यह मानते थे कि अनावेदक कमांक 1 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तो उन्हें अधिक से अधिक प्रकरण एस.डी.ओ. को प्रत्यावर्तित करना चाहिए था ।

यह तर्क दिया गया है कि अनावेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में स्वतव घोषणा का वाद पेश किया गया था जो व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 4–4–2003 को निरस्त किया जा चुकी है, उसकी अपील थी प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मुरैना द्वारा निरस्त की जा चुकी है । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक नवलसिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील पेश की गई जो दिनांक 23–1–15 के निर्णय द्वारा निरस्त की जा चुकी है ।

उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने तथा एस.डी.ओ. के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि व्यवहार न्यायालय का जो निर्णय है वह स्थगन निरस्त करने के संबंध में है । आवेदकों को केवल मौखिक तौर पर खेती करने को कहा गया था । अनुविभागीय अधिकारी ने बिना तहसील का रिकार्ड देखे आदेश पारित किया है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों की विवेचना कर आदेश पारित करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ जबाव में आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि पट्टा लिखित तथा मौखिक हो सकता है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक का स्थगन आवेदन ही निरस्त नहीं किया गया है बल्कि उनके द्वारा प्रस्तुत वाद साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया गया है जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्याालय द्वारा भी की जा चुकी है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण संहिता की धारा 189, 190, 110 के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से प्रारंभ हुआ है । प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक रोशन का नाम पटवारी कागजात में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है । आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष अनावेदक नवलसिंह द्वारा प्रस्तुत व्यवहार से संबंधित व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–4–03 जो अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के बाद का है कि प्रति, उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील में अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–2–05 की प्रति एवं प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 23.1.15 की प्रमाणित प्रति पेश की है । व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वत्व घोषणा का वाद निरस्त किया गया है और

व्यवहार न्यायालय के आदेश की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.1.15 को पारित आदेश द्वारा की गई है इस प्रकार व्यवहार न्यायालय से आवेदक रोशन के पक्ष में निर्णय हुए हैं । इस परिस्थिति को देखते हुए अपर आयुक्त का आलोच्य आदेश माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पुष्टि योग्य नहीं है । परिणामतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

( एम. के. सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर